



केन्द्रीय विद्यालय संगठन / KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय)

(An Autonomous Body under Ministry of Education, Government of India)

क्षेत्रीय कार्यालय, तिनसुकिया (असम) / Regional Office, Tinsukia (Assam)

प्रांगण: केन्द्रीय विद्यालय तिनसुकिया / Campus: Kendriya Vidyalaya Tinsukia

राजा अली रोड नौ-पुखुरी, जिला - तिनसुकिया - 786125 / Raja Ali Road, Nau-Pukhuri, Tinsukia - 786125
दूरभाष / Tel: 0374-2950031/2950032/2950033, वेबसाइट/Website: tinsukia.kvs.gov.in ई-मेल E-mail: nwkvstinsukia@gmail.com

फा. 42030/2025-26/के.वि.सं./क्षे.का.तिन/प्रशा./ICC 12721-92 दिनांक: 13.08.2026

आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 26.12.2025 के क्रम में श्रीमति एन.जी. सरजूबाला देवी, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता से प्राप्त सहमति के आधार पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन, तिनसुकिया संभाग की 'आंतरिक शिकायत समिति' (Internal Complaints Committee) की 'पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer)' के रूप में तत्काल प्रभाव से नामित किया जाता है।

यह संशोधन श्रीमति एन.जी. सरजूबाला देवी, सहायक आयुक्त का तिनसुकिया संभाग से कोलकाता संभाग में स्थानांतरण के उपरान्त किया गया है, जबकि समिति के अन्य सदस्य पूर्व आदेश दिनांक 26.12.2025 के अनुसार यथावत रहेंगे।

(टी. प्रताप सिंह)

उपायुक्त, के.वि.सं. तिनसुकिया संभाग

वितरण:

1. पीठासीन अधिकारी एवं समिति के सभी सदस्य।
2. संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), के.वि.सं.(मु.), नई दिल्ली।
3. संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक/मु.सतर्कता अधि.), के.वि.सं. (मु.) नई दिल्ली।
4. उपायुक्त/ निदेशक, के.वि.सं. समस्त क्षेत्रीय कार्यालय एवं जीट।
5. सहायक आयुक्त (सतर्कता), के.वि.सं.(मु.), नई दिल्ली।
6. प्राचार्य, समस्त केन्द्रीय विद्यालय, तिनसुकिया संभाग - कृपया इस आदेश व उपरोक्त परिपत्र की विषय वस्तु को अपने विद्यालय में कार्यरत समस्त कर्मचारियों की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए पावती सहित परिचालित करें।
7. गार्ड फाइल।



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

(An Autonomous Body under Ministry of Education, Govt. of India)

क्षेत्रीय कार्यालय, तिनसुकिया (असम) / REGIONAL OFFICE, TINSUKIA (ASSAM)

प्रांगण: केन्द्रीय विद्यालय तिनसुकिया / Campus: Kendriya Vidyalaya Tinsukia

राजा अली रोड, नौ-पुखुरी, जिला: तिनसुकिया - 786125/Raja Ali Road, Nau-Pukhuri, Tinsukia - 786125

दूरभाष / Tel: 0374-2950031/2950032/2950033, वेबसाइट/Website: rotinsukia.kvs.gov.in ई-मेल/ E-mail: ro-tinsukia@kvs.gov.in

फा.सं.42030/2025-26/के.वि.सं./क्षे.का/तिन/प्रशा./ICC/22645-22723

दिनांक: 26.12.2025

आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) नई दिल्ली के परिपत्र 11-55/2000-KVS(Vig.)Pt.11212-25 दिनांकित 05.03.2019 के आलोक में कार्यस्थल पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, तिनसुकिया एवं इसके अधीन समस्त केन्द्रीय केन्द्रीय विद्यालयों से प्राप्त शिकायतों के निपटान के सम्बन्ध में इस कार्यालय के आदेश दिनांकित 10.10.2023 के द्वारा पूर्व में गठित आंतरिक शिकायत समिति (Internal Complaint Committee) (ICC) में अतिरिक्त NGO सदस्य जोड़ने (विदित हो कि इस संभाग अधीन संचालित विद्यालय 04 राज्यों में स्थित है) के कारण पूर्व आदेशों का अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित सदस्यों की परिशोधित कमेटी का तुरंत प्रभाव से गठन किया जाता है: -

क्र. सं.	नामावली	नामित अधिकारी/ सदस्य का नाम	पद	क्षेत्राधिकार
1.	पीठासीन अधिकारी	श्रीमती एनजी सर्जबाला देवी	सहायक आयुक्त, के.वि.सं., क्षे.का. तिनसुकिया	क्षेत्रीय कार्यालय में अनुभाग अधिकारी (वित्त अधिकारी को छोड़कर) के स्तर तक के अधिकारियों तथा संबंधित संभाग के प्राचार्यों, उप-प्राचार्यों एवं मुख्याध्यापकों के विरुद्ध कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करना।
2.	एन.जी.ओ. सदस्य (एक)	श्रीमती दीपाली भट्टाचार्य	प्रेसिडेंट, AALO एन.जी.ओ., सुबचनी रोड, ACMS काम्प्लेक्स, तिनसुकिया	
3.		सुश्री नोनीबाला नारंगबम	Chief Functionary, Integrated Rural Development Service Organization, Wangjing, Thoubal District, Manipur	
4.	सदस्य	श्री एम.एच. शिमेरे	प्राचार्य, के.वि. डिमापुर	
5.	सदस्य	श्रीमती ववत्सी क्री	प्राचार्य, के.वि. पासीघाट	

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को अब उपरोक्त समिति को भेजा जाएगा तथा समिति शिकायत प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर (यदि कोई हो) अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उपरोक्त समिति इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन साल की अवधि के लिए लागू रहेगी। यदि प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के कारण उक्त समिति में कोई परिवर्तन होता है तो तदनुसार परिवर्तनों को शामिल कर सूचित किया जाएगा।


(टी. प्रीतम सिंह)

उपायुक्त, के.वि.सं. तिनसुकिया संभाग

वितरण:

1. पीठासीन अधिकारी एवं समिति के सभी सदस्य।
2. संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), के.वि.सं.(मु.), नई दिल्ली।
3. संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक/मु.सतर्कता अधि.), के.वि.सं. (मु.) नई दिल्ली।
4. उपायुक्त/ निदेशक, के.वि.सं. समस्त क्षेत्रीय कार्यालय एवं जीट।
5. सहायक आयुक्त (सतर्कता), के.वि.सं.(मु.), नई दिल्ली।
6. प्राचार्य, समस्त केन्द्रीय विद्यालय, तिनसुकिया संभाग – कृपया इस आदेश व उपरोक्त परिपत्र की विषय वस्तु को अपने विद्यालय में कार्यरत समस्त कर्मचारियों की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए पावती सहित परिचालित करें।
7. गार्ड फाइल।